

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :- 01 / यो0ब0-15 / 2016- 826

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन
प्रमंडल, गढ़वा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा उत्तरी वन
प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,
हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, लातेहार

दिनांक : 13.06.2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) योजना (अनुसूचित
जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण,
वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम
वर्ष) के लिए कुल 2073.927 लाख (बीस करोड़ तिहत्तर लाख बानबे हजार
सात सौ रुपये) मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0ब0-20 / 2016-05 / स्वी0 व0 प0
दिनांक-30.05.2016 एवं आ0आ0संख्या-04 / यो0बजट-19 / 2016-41 अ0व0प0
दिनांक-02.06.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना)
के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण
का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 2073.927 लाख (बीस करोड़ तिहत्तर लाख बानबे
हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय
स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0ब0-20 / 2016-05 / स्वी0 व0 प0 दिनांक-30.05.2016 एवं
आ0आ0संख्या-04 / यो0बजट-19 / 2016-41 अ0व0प0 दिनांक-02.06.2016 के अन्तर्गत किया जा
रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित
किया जाता है :-

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण	मजदूरी	19P240601789580103	1498.653
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789580323	575.274
कुल आवंटित राशि				2073.927

अर्थात् कुल 2073.927 लाख (बीस करोड़ तिहत्तर लाख बानबे हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 2073.927 लाख (बीस करोड़ तिहत्तर लाख बानबे हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण” योजना (पुरानी—भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01—वानिकी लघु शीर्ष 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध अनुलग्नक—1(क) से 1(ग) के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजूदरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार



कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्या निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

20. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावर विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

21. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

22. कटबैक, कॉपिसिंग कार्यों में प्राप्त जलावन को स्थानीय ग्रामीणों के बीच पारदर्शी तरीके से वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप वितरित करेंगे।

23. प्रवेश बिन्दु कार्यों का प्राक्कलन अलग से समर्पित करेंगे, जिसपर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

24. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शर्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

25. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो।

26. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।


27. प्रवेश बिन्दु कार्य के अन्तर्गत ग्राम वन प्रबंधन में राशि की उपलब्धता के आधार पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव के अनुसार सामूहिक व्यवहार हेतु ग्राम वन प्रबंधन भवन,

सौर्य ऊर्जा से गाँव का प्रकाशीकरण, ग्रामीण पेयजल सुविधा, सार्वजनिक सिंचाई सुविधा आदि प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जाएगा।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।

31. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1(क) से 1(ग) पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-2 पर संलग्न हैं।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विकासभाजन

अपर प्रधान मुख्यमन्त्री सरकार, विकास,
जारखण्ड, राँची।


सौर्य ऊर्जा से गाँव का प्रकाशीकरण, ग्रामीण पेयजल सुविधा, सार्वजनिक सिंचाई सुविधा आदि प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जाएगा।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।

31. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1(क) से 1(ग) पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-2 पर संलग्न हैं।

विश्वासभाजन,


अनुलग्नक :— यथोक्ता।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01/ यो0ब0—15/ 2016— 826 , राँची, दिनांक :— 13.06.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ प्रादेशिक अंचल, चतरा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


13/6/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

सौर्य ऊर्जा से गाँव का प्रकाशीकरण, ग्रामीण पेयजल सुविधा, सार्वजनिक सिंचाई सुविधा आदि प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जाएगा।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।

31. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1(क) से 1(ग) पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-2 पर संलग्न हैं।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्ता।

४०/—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—१५/२०१६— ८२६ , राँची, दिनांक :— १३.०६.२०१६

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ प्रादेशिक अंचल, चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

४०/—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—१५/२०१६— ८२६ , राँची, दिनांक :— १३.०६.२०१६

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/ कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	स्थल / ग्राम का नाम	भौतिक लक्ष्य	अग्रिम कार्य	प्रवेश विन्दु कार्य	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	पेक्सा	30	12.456	4.152	16.608
	योग :-		30	12.456	4.152	16.608
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	नौनियाचुआँ	30	12.256	4.085	16.341
		शंकरपुर	30	14.851	4.951	19.802
	योग :-		60	27.107	9.036	36.143
3	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	गणके	60	28.708	9.569	38.277
	योग :-		60	28.708	9.569	38.277
4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	चटनियाँ	60	20.884	6.962	27.846
	योग :-		60	20.884	6.962	27.846
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	चौरिया एवं कूपा	40	19.681	6.562	26.243
	योग :-		40	19.681	6.562	26.243
	कुल योग :-		250	108.836	36.281	145.117



13/01/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास


झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	स्थल/ग्राम का नाम	भौतिक लक्ष्य	अग्रिम कार्य	प्रवेश विन्दु कार्य	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	बुलका उर्फ बैरियादामर	50	30.815	10.272	41.087
		पुरहे	50	30.558	10.186	40.744
		बरडीहा	50	26.700	8.900	35.600
योग :-			150	88.073	29.358	117.431
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	चुटिया	50	25.345	8.448	33.793
		रणपुरा	50	29.943	9.981	39.924
		रोदो	50	25.702	8.567	34.269
योग :-			150	80.990	26.996	107.986
3	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	लोइंगा	40	21.413	7.138	28.551
		गोराडीह	40	23.719	7.906	31.625
		मसीहानी	40	23.719	7.907	31.626
योग :-			120	68.851	22.951	91.802
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	कदले	30	15.942	5.314	21.256
		लराही	40	22.611	7.537	30.148
		आमगाँवा	40	20.852	6.952	27.804
		एकतारा	30	15.785	5.262	21.047
योग :-			140	75.190	25.065	100.255
5	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	कुल्लू	40	19.372	6.457	25.829
		डाहा	40	20.283	6.762	27.045
		मंगरा/बैजनाथपुर	40	20.397	6.799	27.196
		गजवा	40	19.524	6.508	26.032
		कोलवा	40	19.979	6.660	26.639
योग :-			200	99.555	33.186	132.741

6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	खैरापहाड़सिंह	50	23.424	7.808	31.232
	योग :-		50	23.424	7.808	31.232
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	चानो	40	30.469	10.157	40.626
		बनासो	35	29.692	9.898	39.590
		बड़कीसरिया / नावाडीह	50	27.148	9.049	36.197
		बागोडीह / छतरब	65	34.841	11.615	46.456
	योग :-		190	122.150	40.719	162.869
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	केदारुत	50	28.082	9.361	37.443
		केदारुत / गोरियाकरमा	50	28.082	9.361	37.443
		बलीडीह	50	40.873	13.623	54.496
	योग :-		150	97.037	32.345	129.382
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	सिसरी	40	25.725	8.575	34.300
		चनाकला	40	25.599	8.533	34.132
		मनदोहर उर्फ केरुआ	40	25.624	8.542	34.166
		मकरी	40	25.028	8.343	33.371
	योग :-		160	101.976	33.993	135.969
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	नेवार	60	35.038	11.679	46.717
	योग :-		60	35.038	11.679	46.717
	कुल योग :-		1370	792.284	264.100	1056.384



 13/6/2016
 अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास

 जारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	स्थल/ग्राम का नाम	भौतिक लक्ष्य	अग्रिम कार्य	प्रवेश विन्दु कार्य	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	कैलान	50	16.361	5.456	21.817
		कदवा	50	18.947	6.316	25.263
		चुन्दी	50	23.014	7.671	30.685
योग :—			150	58.322	19.443	77.765
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	सिरोईला	35	10.081	3.360	13.441
		रमकण्डा	45	21.983	7.328	29.311
		बिराजपुर	50	22.987	7.662	30.649
		विश्रामपुर	50	20.402	6.801	27.203
योग :—			180	75.453	25.151	100.604
3	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	आरापुर	50	21.234	7.078	28.312
		बेड़या	50	22.901	7.436	30.337
		जोगिया सोहड़ी	50	21.367	7.022	28.389
योग :—			150	65.502	21.536	87.038
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	असड़िया	50	18.811	6.210	25.021
		करमा	50	21.758	7.163	28.921
		जिरौन	50	21.902	7.170	29.072
योग :—			150	62.471	20.543	83.014
5	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	गोसाइडीह	30	13.599	4.533	18.132
		विन्ध्यानी	40	14.622	4.874	19.496
		पकंरी	40	17.049	5.683	22.732
		सरजामातु	40	15.787	5.260	21.047

योग :—			150	61.057	20.350	81.407	
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	महुआदोहर	65	20.239	6.747	26.986	
		घुट्टीटांड	40	14.237	4.746	18.983	
		करचैता	35	14.197	4.732	18.929	
		कटैया	50	17.985	5.995	23.980	
योग :—			190	66.658	22.220	88.878	
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	पिपचो	50	20.325	6.775	27.100	
		पुन्दी / पौता	35	14.652	4.885	19.537	
		बड़की चिदरी	65	30.923	10.308	41.231	
		चिलगो	50	23.358	7.786	31.144	
योग :—			200	89.258	29.754	119.012	
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	सलगा	60	21.263	7.088	28.351	
		सिकरी	60	22.505	7.502	30.007	
		घुटू	60	22.482	7.494	29.976	
योग :—			180	66.250	22.084	88.334	
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	पचाडूमर	50	23.908	7.969	31.877	
		रोदो	40	18.526	6.176	24.702	
		विराजपुर	40	16.993	5.665	22.658	
		डाली	50	24.625	8.208	32.833	
योग :—			180	84.052	28.018	112.070	
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	पोलपोल	30	12.864	4.288	17.152	
		केवटवार	30	12.864	4.288	17.152	
योग :—			60	25.728	8.576	34.304	
कुल योग :—			1590	654.751	217.675	872.426	


 13/01/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

 ज्ञारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01yb-15/2016/826

दिनांक -

13-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं।	निकासी एवं व्ययन पदा।	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103	36145	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	17,659,200.00 रुपये एक करोड छहतर लाख उनसठ हजार दो सौ
2	P 19 240601789580103	36148	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV GARHWA	16,627,800.00 रुपये एक करोड छालठ लाख सत्ताइस हजार आठ सौ
3	P 19 240601789580103	36150	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	17,079,200.00 रुपये एक करोड सत्तर लाख उन्नासी हजार दो सौ

योगः

क्रमिक योगः

रुपये पाँच करोड तेरह लाख छालठ हजार दो सौ

51,366,200.00

Y.K.Singh
13/6/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	36152	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	13,118,200.00
5	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	36156	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	16,713,700.00
6	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	36158	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	8,420,900.00
7	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	36162	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	17,713,000.00
योग:				55,965,800.00
क्रमिक योग:				107,332,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड तीहत्तर लाख बत्तीस हजार

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789580103	36166	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	15,923,400.00
9	P 19 240601789580103	36169	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	20,589,900.00
10	P 19 240601789580103	36170	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	6,020,000.00
11	P 19 240601789580323	36172	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	4,645,000.00
योग:				47,178,300.00
क्रमिक योग:				154,510,300.00

रुपये पंद्रह करोड ऐतालीस लाख दस हजार तीन सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789580323	36173	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	4,231,200.00 रुपये बयालीस लाख इकतीस हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
13	P 19 240601789580323	36174	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	4,632,500.00 रुपये छयालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
14	P 19 240601789580323	36175	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	6,869,500.00 रुपये अडसठ लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
15	P 19 240601789580323	36176	CTRFORC02 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	8,315,400.00 रुपये तिरयासी लाख पंद्रह हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
योग:				24,048,600.00
क्रमिक योग:				178,558,900.00

रुपये स त्र ह करोड पिचयासी लाख अठायन हजार तीन सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (MS))

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601789580323	36177	KDMFORA01	3,590,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये पैसों से लाख नब्बे हजार एक से हजार एक से
17	P 19 240601789580323	36178	HZBFWL009	10,475,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	रुपये एक करोड़ चार लाख पचहत्तर हजार एक से
18	P 19 240601789580323	36179	HZBFWL005	5,848,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	रुपये अठावन लाख अडतालीस हजार दो से
19	P 19 240601789580323	36181	GRHFWL003	6,838,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	रुपये अडसठ लाख अडतीस हजार तीन से
				26,751,700.00
योग:				205,310,600.00
क्रमिक योग:				


रुपये बीस करोड़ तीरपन लाख दस हजार छ: सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789580323	36183	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	2,082,100.00

2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी
01 - वानिकी
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण
03 - प्रशासनिक व्यय
23 - आपूर्ति एवं सामग्री



योगः

2,082,100.00

क्रमिक योगः

रुपये बीस करोड तीहत्तर लाख बयानवे हजार सात सौ

207,392,700.00

(SHRI A.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND